

भारत में अनुसूचति क्षेत्र

प्रलिस के लयि:

भारत में अनुसूचति क्षेत्र, [अनुसूचति जनजाति](#), अनुसूचति क्षेत्र और [अनुसूचति जनजाति आयोग](#), अनुच्छेद 244(1), अनुच्छेद 244(2), छठी अनुसूची, स्थानीय स्वशासन

मेन्स के लयि:

भारत में अनुसूचति क्षेत्र, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लयि कल्याणकारी योजनाएँ व इन योजनाओं का प्रदर्शन

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

भारत की आबादी में [अनुसूचति जनजाति](#) (Scheduled Tribes- ST) की हसिसेदारी 8.6% है, ये भारत के वभिन्न राज्यों और केंद्र शासति प्रदेशों में नविस करते हैं। भारतीय संवधान का [अनुच्छेद 244](#) अनुसूचति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान है।

अनुसूचति क्षेत्र:

परचय:


- अनुसूचति क्षेत्र भारत के 11.3% भूमिक्षेत्र को कवर करते हैं, जहाँ भारत की आबादी में 8.6% की हसिसेदारी वाले अनुसूचति जनजातिसमुदाय नविस करते हैं।
- अनुसूचति क्षेत्र वाले घोषति 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश।
 - वर्ष 2015 में केरल ने 2,133 बसतियों, पाँच ग्राम पंचायतों और पाँच जिलों के दो वार्डों को अनुसूचति क्षेत्रों के रूप में अधिसूचति करने का प्रस्ताव रखा, इसे अभी तक केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मलि है।

अनुसूचति क्षेत्र चहिनति कयि जाने हेतु मानदंड:

- कसिी क्षेत्र को अनुसूचति क्षेत्र घोषति करने वाले मार्गदर्शक मानदंडों में जनजातीय आबादी की प्रधानता, सघनता, आकार, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में व्यवहार्यता तथा आसपास के क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक पछिडापन शामिल हैं।
- वर्ष 2002 के अनुसूचति क्षेत्र और अनुसूचति जनजाति आयोग अथवा भूरया आयोग ने वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार 40% अथवा इससे अधिक जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों को अनुसूचति क्षेत्र घोषति करने की सफिरशि की थी।

संवधानिक प्रावधान और शासन:

- अनुच्छेद 244 (1) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम के अतरिकित अन्य राज्यों में अनुसूचति क्षेत्रों पर पाँचवी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है।
- अनुच्छेद 244 (2) उपर्युक्त राज्यों पर छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है।
- जनजातीय सलाहकार परिषद: भारत के राष्ट्रपति अनुसूचति क्षेत्रों को अधिसूचति करते हैं और अनुसूचति क्षेत्रों वाले राज्य अनुसूचति जनजाति के कल्याण संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लयि एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करते हैं।
- पंचायत (अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार) अधनियम (PESA), 1996: यह ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के साथ ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है व स्थानीय स्वशासन को प्राथमिकता देता है।
 - वर्ष 1995 में अनुसूचति क्षेत्रों में पंचायत राज के वसितार के प्रावधानों की सफिरशि करने के लयि गठति भूरया समति ने अनुसूचति क्षेत्र वाले गाँवों को पंचायती राज में शामिल करने की सफिरशि की थी, लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं कयि गया है।
 - भारत के राष्ट्रपति भारत के अनुसूचति क्षेत्रों को अधिसूचति करते हैं। अनुसूचति क्षेत्रों वाले राज्यों को 20 ST सदस्यों वाले एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना अनविर्य है।
 - यह समति ST के कल्याण के संबंध में उन्हें भेजे गए मामलों पर राज्यपाल को सलाह देती है। इसके बाद राज्यपाल अनुसूचति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।



//

अनुसूचति क्षेत्त्रों से संबंधति चतिाएँ:

- आदवासी संगठनों की मांगों के बावजूद, भारत की **ST आबादी का एक बड़ा हसिसा (59%) अनुच्छेद 244 के अंतर्गत नहीं आता** है, जसिसे वे **अनुसूचति क्षेत्त्रों** पर लागू होने वाले कानूनों के तहत संरक्षति अधकारों से वंचति रह जाते हैं ।
- नौकरशाह तंत्र में **व्यवहार्य ST-बहुमत प्रशासनकि इकाइयों की अनुपस्थति** एक आम समस्या रही है, जसिके कारण अनुसूचति क्षेत्त्रों के कुछ हसिसों को गैर-अधसूचति करने की मांग उठी है ।
 - उन्हें **भूमि अधगिरहण, पुनरुद्धार, पुनरवासन में उचति प्रतिकार तथा पारदर्शति का अधकार अधनियम, 2013 और जैवकि वविधति अधनियम, 2002** सहति अनुसूचति क्षेत्त्रों पर लागू होने वाले कानूनों के तहत संरक्षति कयि गये अधकारों से वंचति कयि गया है ।

भारत में अनुसूचति जनजातयों से संबंधति प्रावधान:

- **परभाषा:**
 - भारतीय संवधान में ST की मान्यता के लयि कोई मानदंड परभाषति नहीं है । **जनगणना-1931** के अनुसार, ST को "**बहषिकृत**" और "**आंशकि रूप से बहषिकृत**" क्षेत्त्रों में नवास करने वाली "**पछिड़ी जनजाति**" कहा जाता है ।

- सर्वप्रथम प्रांतीय विधानसभाओं में "पछिड़ी जनजातियों" के लिये प्रतिनिधित्व का प्रावधान [भारत सरकार अधिनियम 1935](#) द्वारा लाया गया था।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - अनुच्छेद 366(25) के अनुसार ST की परिभाषा:
 - "ST" उन जनजातियों, आदिवासी समुदायों अथवा उन जनजातियों व समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों को संदर्भित करता है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजात माना जाता है।
- **कानूनी प्रावधान:**
 - असपृश्यता के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।
 - [अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति \(अत्याचार निवारण\) अधिनियम, 1989।](#)
 - [पंचायत उपबंध \(अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार\) अधिनियम \(PESA\), 1996](#)
 - [अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधिनियम, 2006।](#)

आगे की राह

- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ ST सबसे बड़ा सामाजिक समूह है, कति उनके आवास अथवा आवासों के समूह अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर हैं, उन क्षेत्रों की नकिलता पर विचार किये बिना अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- [FRA \(वन अधिकार अधिनियम\) 2006](#) के तहत वन भूमि पर "सामुदायिक वन संसाधन" क्षेत्र और राजस्व भूमि के भीतर प्रथागत सीमा, जहाँ लागू हो, को इन गांवों की भौगोलिक सीमाओं में जोड़ा जाना चाहिये। संबंधित राज्य कानूनों में उचित संशोधन से यह संभव हो सकता है।
- राजस्व ग्राम, पंचायत, तालुका और जिले की भौगोलिक सीमाओं को फरि से निर्धारित करने की आवश्यकता होगी ताकि ये पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र बनाए जा सकें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- पंचायती राज मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत के संविधान की कसि अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये विशेष प्रावधान हैं?(2008)

- तीसरा
- पाँचवाँ
- सातवाँ
- नौवाँ

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत के संविधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लिये नजि पार्टियों को आदिवासी भूमिके हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019)

- तीसरी अनुसूची
- पाँचवी अनुसूची
- नौवी अनुसूची
- बारहवी अनुसूची

उत्तर: (b)

प्रश्न. सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? (2013)

- (a) स्वशासन प्रदान करना
- (b) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
- (c) जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना
- (d) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना

उत्तर: (c)

प्रश्न. अनुसूचित जनजात एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिये कौन प्राधिकारी होगा? (2013)

- (a) राज्य वन विभाग
- (b) जिला कलेक्टर / उपायुक्त
- (c) तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी / मंडल राजस्व अधिकारी
- (d) ग्राम सभा

उत्तर: (d)

प्रश्न. भारत के संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान हैं? (2015)

- (a) अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा
- (b) राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण
- (c) पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण
- (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा

उत्तर: (a)

?????:

प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244, अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसकी पाँचवीं सूची का क्रियान्वयन न हो पाने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (2013)

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद से अनुसूचित जनजातियों (ST) के खिलाफ भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो मुख्य वधिक पहल क्या हैं? (2017)

प्रश्न. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये। (2016)